E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 02 / भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02 / 2025(खण्ड–1)......6372.........

प्रेषक,

जे.प्रियदर्शिनी,भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
पटना / बक्सर / सारण(छपरा) / मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / दरंभगा / वैशाली (हाजीपुर) / पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) / भोजपुर (आरा) / औरंगाबाद / गोपालगंज / भागलपुर / कैमूर (भभूआ) / सिवान / मधुबनी / रोहतास / गया / नवादा / बाँका / शिवहर / सहरसा / बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / किशनगंज / अररिया / कटिहार / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / जमुई / शेखपुरा / नालन्दा / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्णियाँ / खगड़िया / मुंगेर /

प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,
बोधगया।

अवर सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक :–16/09/25

विषय :– मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि निदेशालय के पत्रांक 4533 दिनांक 19.08.2025 के विरूद्ध प्राप्त अधियाचना के आलोक में आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यालय व्यवहरार्थ कुल **–3,79,88,500 / –(तीन करोड़ उनासी लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र** का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :–

क्र0स0	कार्यालय का नाम	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	13 06 वर्दी / पोशाक	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	14 01 किराया महसूल एवं कर	26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	52 01 मशीने एवं उपस्कर	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	–	80000	400000	–	–	–	250000	–	–	–	**730000**
2	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	–	70000	300000	20000	150000	–	200000	–	40000	–	**780000**
3	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण (छपरा)	–	95000	260000	–	12000	–	200000	–	–	–	**567000**
4	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	–	50000	400000	8400	–	–	250000	–	80000	–	**788400**
5	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	–	50000	300000	–	–	–	250000	–	–	105000	**705000**
6	बन्दोबस्त कार्यालय, दरंभगा	–	50000	300000	–	55000	–	250000	–	120000	–	**775000**
7	बन्दोबस्त कार्यालय, गया	–	50000	300000	–	–	–	250000	–	–	–	**600000**
8	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	–	32500	300000	–	–	–	200000	–	550000	500000	**1582500**
9	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	–	70000	300000	–	–	–	250000	–	320000	440000	**1380000**
10	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर (आरा)	–	70000	300000	10000	50000	–	200000	6000	–	200000	**836000**
11	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	–	–	–	10000	–	–	250000	–	–	–	**260000**
12	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	60000	50000	300000	–	20000	–	250000	–	220000	300000	**1200000**
13	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	–	50000	300000	–	150000	–	250000	130000	50000	200000	**1130000**
14	बन्दोबस्त कार्यालय, कैमूर (भभुआ)	–	–	170000	–	–	–	250000	–	40000	–	**460000**
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	5000	6000	300000	10000	20000	–	250000	–	2000	100000	**693000**
16	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	–	50000	300000	–	170000	–	250000	–	30000	600000	**1400000**
17	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	–	50000	300000	–	–	–	250000	–	320000	700000	**1620000**
18	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	–	50000	300000	–	–	–	250000	–	200000	200000	**1000000**
19	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	25000	92000	300000	–	5500	–	250000	–	12000	40000	**724500**
20	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	–	50000	300000	–	–	15000	250000	–	–	300000	**915000**
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	–	30000	300000	–	50000	–	90000	–	–	700000	**1170000**
22	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	–	50000	260000	–	10000	–	70000	–	–	–	**390000**
23	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	–	–	380000	–	–	–	250000	–	–	–	**630000**
24	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	–	50000	340000	–	–	–	250000	–	–	–	**640000**

क्र0स0	कार्यालय का नाम	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	13 06 वर्दी/ पोशाक	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	14 01 किराया महसूल एवं कर	26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	52 01 मशीने एवं उपस्कर	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
25	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	–	50000	300000	–	–	–	250000	–	–	100000	**700000**
26	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	–	50000	300000	–	66000	–	150000	–	93000	166000	**825000**
27	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	–	50000	300000	–	–	–	250000	–	–	–	**600000**
28	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	6000	50000	300000	15000	72000	10000	250000	–	–	–	**703000**
29	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	–	50000	400000	15000	36700	–	250000	–	115000	134000	**1000700**
30	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	–	70000	300000	–	100000	–	250000	–	–	100000	**820000**
31	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	50000	100000	300000	15000	15000	5000	162000	–	–	–	**647000**
32	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	–	50000	150000	4800	–	5000	220000	–	–	–	**429800**
33	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	–	–	300000	–	–	–	260000	–	–	200000	**760000**
34	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	–	70000	400000	15000	26000	25000	250000	–	152000	300000	**1238000**
35	बन्दोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया)	–	10000	300000	10000	–	–	250000	–	–	800000	**1370000**
36	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	–	20000	300000	10000	–	–	250000	80000	40000	300000	**1000000**
37	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	–	50000	400000	–	–	–	153600	–	–	–	**603600**
38	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	–	–	400000	–	75000	–	150000	200000	–	–	**825000**
39	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	–	–	300000	–	350000	–	200000	–	–	–	**850000**
40	अवर सचिव, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	–	100000	2000000	40000	1000000	–	1500000	–	–	–	**4640000**
	कुल योग :–	**146000**	**1865500**	**13760000**	**183200**	**2433200**	**60000**	**10255600**	**416000**	**2384000**	**6485000**	**37988500**

(तीन करोड़ उनासी लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40– 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

15/9

(जे.प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025(खण्ड–1) 6372 **पटना, दिनांक** 16/09/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025(खण्ड–1) 6372 **पटना, दिनांक** 16/09/2025

प्रतिलिपि:– संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025(खण्ड–1)...6372... **पटना, दिनांक** :- 16/09/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025(खण्ड–1)...6372... **पटना, दिनांक** 16/09/2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

15/9

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप